सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 47/2016 अपील
पंजीयन दिनांक– 23.05.2016
निर्णय दिनांक – 30.01.2018

1. श्री चारभुजा जी स्थान भियाणा, जरिये उपासक रायसिंह पिता भोपालसिंह जी, निवासी भियाणा तहसील बड़ी सादड़ी जिला चितौड़गढ़।
2. श्री सोहन सिंह पिता खेमसिंह जी मीणा, निवासी अणदों का खेड़ा, तहसील बड़ी सादड़ी जिला चितौड़गढ़।
3. श्री छोगासिंह पिता गोपाल सिंह जी मीणा, निवासी अणदों का खेड़ा, तहसील बड़ी सादड़ी जिला चितौड़गढ़।
4. श्री हिम्मत सिंह पिता धूल सिंह जी मीणा, निवासी भियाणा तहसील बड़ी सादड़ी जिला चितौड़गढ़।
5. श्री शंकरसिंह पिता बालुसिंह जी मीणा, निवासी भियाणा तहसील बड़ी सादड़ी जिला चितौड़गढ़।
6. श्री लक्ष्मीनारायण पिता नाथुलाल जी व्यास जाति ब्राह्मण, निवासी भियाणा तहसील बड़ी सादड़ी जिला चितौड़गढ़।

–अपीलान्ट

बनाम

1. श्री किशनदास पिता शंकरदास जी बैरागी, निवासी भियाणा तहसील बड़ी सादड़ी जिला चितौड़गढ़।
2. श्री गणेशदास पिता शंकरदास जी बैरागी, निवासी भियाणा तहसील बड़ी सादड़ी जिला चितौड़गढ़।
3. श्री नन्दादास पिता शंकरदास जी बैरागी, निवासी भियाणा तहसील बड़ी सादड़ी जिला चितौड़गढ़।
4. जसोदा बाई पुत्री शंकरदास जी बैरागी, निवासी भियाणा हाल मुकाम पारसोली तहसील बड़ी सादड़ी जिला चितौड़गढ़।
5. संतोष बाई पिता शंकरदास जी पत्नि जीवनदास जी बैरागी, निवासी भियाणा, हाल मुकाम बोहेड़ा तहसील बड़ी सादड़ी जिला चितौड़गढ़।
6. भगवती बाई पत्नि शंकरदास जी बैरागी, निवासी भियाणा तहसील बड़ी सादड़ी जिला चितौड़गढ़।
7. तहसीलदार साहब, बड़ी सादड़ी जिला चितौड़गढ़।

–रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित–

1– श्री सज्जनसिंह मेहता – अधिवक्ता अपीलान्ट्स

2– श्री नरेश जणवा – अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय सहायक कलक्टर बड़ी सादड़ी प्रकरण संख्या 08/2015 निर्णय दिनांक 14.03.2016.

निर्णय

दिनांक 30.01.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–76 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ी सादड़ी प्रकरण संख्या 08/2015 निर्णय दिनांक 14.03.2016 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि मौजा भियाणा के साबिक आराजी नं. 381 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, आ.नं.0 492 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा कुल किता–2 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा जिसके हाल आराजी नं. 211 व 319 है जो मेवाड़ सेटलमेन्ट के समय से ही रेस्पों.संख्या 1 से 5 के दादा व 6 के ससुर नारायणदास पिता रणछोड़दास वैरागी के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तथा नारायणदास की मृत्यु के बाद उक्त आराजी श्री शंकरदास के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। शकरदास की मृत्यु के बाद विरासत से उक्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 13 दिनांक 05.03.2014 को रेस्पों0 संख्या 1 से 6 के नाम दर्ज हुई तथा रेस्पोंडेन्ट्स काबिज होकर कथित भूमि पर काश्त करते चले आ रहे थे। तहसीलदार बड़ी सादड़ी द्वारा अपीलान्ट के नाम तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 13 को निरस्त कर दिया और नया नामान्तरकरण संख्या 43 तस्दीक कर उक्त भूमि दिनांक 16.09.2014 को अपने कार्यालय आदेश से दिनांक 26.09. 2014 को नामान्तरकरण संख्या 43 तस्दीक करते हुए उक्त भूमि ठाकुर जी चारभुजा जी के नाम कर दी, जिससे व्यथित होकर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 6 ने अपील सहायक कलक्टर बड़ी सादड़ी के न्यायालय में पेश की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनाक 14.03.2016 को अपील स्वीकार कर तहसीलदार बड़ी सादड़ी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 43 निर्णय दिनांक 26.09.2014 को निरस्त कर भूमि पुनः रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 6 के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन/नोटिस सूचित किया गया। एवं तहत का अभिलेख मंगाया गया। वकील उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 16.01.2018 को सूनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट्स को पक्षकार नहीं बनाया गया जिससे उक्त अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 के व धारा 5 मयाद अधिनियम के साथ पेश की जा रही है। जिससे प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाये जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स का निवेदन है कि मौजा भियाणा तहसील बड़ी सादड़ी में स्थित कृषि भूमि आराजी नं. 381 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, आ.नं.0 492 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा कुल किता–2 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा सम्वत् 2010 के सेटलमेंन्ट में चारभुजा जी स्थान देह माफी पूजनार्थ के रुप में भगवान चारभुजा जी की खातेदारी में अंकित चली आ रही है और यह भगवान चारभुजा ग्रम भियाणा में मन्दिर चारभुजा जी का प्राचीन समय से चला आ रहा है जिसमें चारभुजा की चतुर्भुज मूति है जिसकी सेवा पूजा रेस्पों. के दादा नारायण दास जी करते थे और उसके बाद शंकरदास जी करते थै अब रेस्पों.शंकरदास जी के पुत्र कर रहे है। रेस्पोंडेन्टगणों ने बदनियति से भगवान की खातेदारी में दर्ज उक्त कृषि भूमि को अपने नाम दर्ज कराने करा ली गई। तहसीलदार बड़ी सादड़ी ने सभी पक्षों को सुनकर दिनांक 10.03.2014 को यह भूमि चार भुजा जी स्थान देह के नाम दर्ज करने का आदेश दिया, इस आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 43 स्वीकृत किया जाकर भगवान चारभुजा जी के नाम पर दर्ज हो गई। रेस्पोंडेन्टगणों ने उक्त आदेश की अपील सहायक कलक्टर, बड़ी सादड़ी में अपीलान्ट्स को पक्षकार बनाये बिना ही पेश की गई। कथित वादग्रस्त भूमि भगवान चारभुजा साकिन देह नाम वक्त सेटलमेन्ट रिकार्ड में दर्ज थी और भगवान चारजुजाजी साकिन देह परपेच्युअल माईनर है औरउनपके स्वत्व अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व स्वयं न्यायालय को है । विवादित आराजीयात चारभुजा जी साकिनदेह के नाम दर्ज है और नारायण दास पिता रणछोड़दास मन्दिर के पुजारी है, यह भूमि माफिक पूजनार्थ दी गई है यानि मन्दिर की सेवा पूजा के बदले दी गई है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू को सहीं ढंग से एप्रीशिएट नहीं किया और परपेच्युअल माईनर के खिलाफ निर्णय पारित कर दिया गया। जो विधि विधान के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जाकर तहसीलदार बडी सादड़ी का निर्णय बहाल रखाये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंटेन्ट्स ने बताया कि अपीलान्टगण उक्त निर्णय से प्रभावित नहीं है, इसलिए उन्हें अपील पेश करने का कोई विधिक एवं कानूनी अधिकार नहीं होने से उनकी अपील इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेकर्ड पर रेस्पोंडेन्टगण ने अपने संपूर्ण दस्तावेज पेश किये और इस बात के भली प्रकार से साबित किया कि वे उक्त भूमि के तन्हा खातेदार काश्तकार हैं। जिनमें मेवाड़ सेटलमेन्ट की जमाबंदी सम्वत् 1988 में खातेदार का नाम नारायणदास वल्द रणछोड़दास बैरागी खडमदार के रुप में अंकित था तथा सेटलमेन्ट की पानड़ी में भी उसी का नाम अंकित था, लगान चारभूजाजी स्थान देह को दिया जाता था। मेवाड़ सेटलमेन्ट में भी उक्त भूमि नारायणदास के पुत्र शंकरदास के नाम दर्ज हुई और शंकरदास की मृत्यु बाद उक्त भूमि रेस्पों. संख्या 1 से 6 के नाम दर्ज हुई है जो विधिनुसार दर्ज हुई है। उक्त भूमि राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 13.12.1991 से समस्त पुजारियों का नाम विलोपित किये जाने का हवाला दिया और अपीलान्ट का नाम नामान्तरकरण संख्या 43 उक्त विवादित नामान्तरकरण से हटाया गया, जबकि उक्त भूमि के रेस्पोंडेन्ट के पूर्वज पुजारी नहीं होकर खड़मदार काश्तकार थे और इसी हैसियत से उनका नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज था और विधि की अनुपालना में वे खातेदार बने जो सरकार के परिपत्र दिनांक 24.05.2007 एवं पुनः दिनांक 06.02.2010 को पूर्व के परिपत्रों को स्पष्ट करते हुए जारी किया गया, जिसमें खातेदार, पट्टेदार एवं खडमदार के नाम आराजी दर्ज रही है तथा जागीर के अधिग्रहण के समय माफी मन्दिर की भूमि राज्य सरकार में निहित हो गई है।, इसलिए राज्य सरकार के परिपत्र कमांक 4–3 (2) राज–6/2007/44 दिनांक 24.05.2007 में स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति खड़मदार है, उन्हें उक्त भूमि का खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिया जावे । इसी आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेन्टगणों के पक्ष में निर्णय पारित किय गया है। अपने कथन के समर्थन में 2006 (2) आर.आर.टी.पेज 993, 2011 (2) आर.आर. टी. पेज 809 के न्यायिक दृष्टांत पेश कर अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मौजा भियाणा तहसील बड़ी सादड़ी में स्थित कृषि भूमि आराजी नं. 381 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, आ.नं.0 492 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा कुल किता–2 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा सम्वत् 2010 के सेटलमेंन्ट में चारभुजा जी स्थान देह माफी पूजनार्थ के रुप में भगवान चारभुजा जी की खातेदारी में अंकित चली आ रही थी। मेवाड़ सेटलमेन्ट की जमाबंदी सम्वत् 1988 में खातेदार का नाम नारायणदास वल्द रणछोड़दास बैरागी खडमदार के रुप में अंकित था तथा सेटलमेन्ट की पानड़ी में भी उसी का नाम अंकित था, लगान

चारभूजाजी स्थान देह को दिया जाता था। मेवाड़ सेटलमेन्ट में भी उक्त भूमि नारायणदास के पुत्र शंकरदास के नाम दर्ज हुई और शंकरदास की मृत्यु बाद उक्त भूमि रेस्पों. संख्या 1 से 6 के नाम दर्ज हुई । उक्त भूमि राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 13.12.1991 से समस्त पुजारियों का नाम विलोपित किये जाने का हवाला देकर तहसीलदार बड़ी सादड़ी द्वारा रेस्पों.संख्या 1 से 6 का नाम हटाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 43 तस्दीक करते हुए उक्त भूमि चारभुजाजी स्थान देह के नाम दर्ज कर दी गई। रेस्पों. संख्या 1 से 6 ने उक्त नामान्तरकरण की अपील सहायक कलक्टर बड़ी सादड़ी के न्यायालय में अपीलान्ट्स को पक्षकार बनाये बिना ही पेश कर अपने पक्ष में निर्णित करा ली गई। जबकि अपीलान्टगणों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में हम प्रकरण को दोनों पक्षों को सुनकार नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित **(Remend)** किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। सहायक कलक्टर बड़ी सादड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित **(Remend)** किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि दोनो पक्षों को सुनकर विधिवत् नये सिरे से निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर